रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 1991/श्रावण 25, 1913
No. 178] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 1991/SRAVANA 25, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1991

संख्या 2(31)/91-ईपीएल :—लोक सभा में दिनांक 13 अगस्त, 1991 को किये गये व्यापार नीति पर वक्तव्य में यह बताया गया है कि सरकार की मध्यम-अवधि नीति यह है कि धीरे-धीरे पूंजीगत माल और कच्चा माल/कलपुर्जे पर से लाइसेंस प्रणाली और मात्रात्मक प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये जायें ताकि इन मदों को केवल कुछ सावधानी से परिभाषित निषेधित सूची को छोड़कर—खुला सामान्य लाइसेंस के तहत लाया जा सके।

2. इस घोषणा के अनुसरण में, वाणिज्य मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि इस बदलाव को लाने की क्रिया विधि बनाने के लिए एक "व्यापार सुधार संबंधी उच्च स्तरीय समिति" का गठन किया जाये। यह समिति आगे काम करते समय भुगतान संतुलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और कर-शुल्कों को क्रमशः युक्तिपूर्ण बनाने तथा कम करने की जरूरत का भी ध्यान रखे ताकि भारतीय उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की क्षमता प्राप्त करने के लिये उचित वातावरण मिले। इस समिति की संरचना निम्नलिखित होगी :—

1. श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया, —अध्यक्ष
वाणिज्य सचिव

2. डा. सी. रंगराजन,
डिप्टी गवर्नर,
रिजर्व बैंक आफ इण्डिया

3. श्री सत्येश माथुर,
सचिव, उद्योग

4. श्री पी.के. लहरी,
सचिव, राजस्व

5. श्री सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय

6. श्री दीपक नैयर,
मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय

7. श्री एन. विश्वास,
सचिव, तकनीकी विकास

8. डा. जयन्त राय,
आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय

9. डा. राकेश मोहन,
आर्थिक सलाहकार, उद्योग मंत्रालय

10. डा. अरविंद विरमानी,
सलाहकार, योजना आयोग

11. श्री डी.आर. मेहता, —सदस्य सचिव
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

3. समिति के कार्य-विषय निम्नलिखित रहेंगे :—

(1) हाल ही में प्रारम्भ व्यापार नीति और औद्योगिक नीति में परिवर्तनों के बाद पूंजीगत माल पर तथा कच्चे माल/मध्यवर्ती माल/कलपुर्जों पर लाइसेंसी नियंत्रण के स्वरूप और सीमा की पुनरीक्षा करना और ऐसे नियंत्रणों के अधीन आयातों के मूल्य की मात्रा निर्धारित करना। इस पुनरीक्षा में सरणीकरण नीतियों पर विचार शामिल होगा। समिति अनुशंसित समय-व्यवस्था के हर चरण में भुगतान संतुलन की स्थिति का तथा विदेशी मुद्रा भंडारों के वांछित स्तर का ध्यान रखेगी।

(2) ऐसी समय-सीमा का सुझाव देना जिसमें एक समुचित क्रम में यह लाइसेंस प्रथा 3—5 वर्षों में समाप्त की जा सके और ऐसा करते समय निर्यात बढ़ाने की जरूरत का ध्यान रखे, व्यापार घाटे का प्रभावी प्रबन्ध सुनिश्चित करने का ध्यान रखे और घरेलू औद्योगिक क्षेत्र को भी इतना पर्याप्त समय दे जिसमें वह आयात नियंत्रणों में कमी के साथ सामन्जस्य स्थापित कर सके।

(3) नियंत्रण में कमी के बीच समुचित सन्तुलन के लिये सुझाव देना जिसमें मदों को खुला लाइसेंस सामान्य के तहत लाना और मदों को विस्तारित एक्सिमस्क्रिप पर ले जाना शामिल है।

(4) ऐसी मदों की सूची तैयार करना जिन्हें पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी लाइसेंसी श्रेणी में रखना जरूरी होगा।

(5) ऐसे कर-शुल्क सुधार के लिये उपाय का सुझाव देना जिनका उद्देश्य आयात पर नियंत्रण हटने के साथ कर-शुल्क प्रणाली को कम करना और युक्तिपूर्ण बनाना हो।

(6) वर्तमान क्रमिक विनिर्माण कार्य क्रमों की प्रणाली की समीक्षा करना। यह समीक्षा इस प्रणाली के आयात नीति से संबंध के प्रसंग में और विशेषकर औद्योगिक नीति तथा व्यापार नीति में हाल ही में किये गये परिवर्तनों के प्रसंग में हो; तथा

(7) आयात क्रियाविधियों के साथ शुल्क रियायतों के संबंध के प्रसंग में सारी शुल्क रियायतों की जांच करना ताकि आयात-नीति में बेहतर स्पष्टता आ सके।

4. समिति, यदि आवश्यक हो तो, उपर्युक्त कार्य विषयों से संबंधित किसी अन्य पहलू पर भी विचार कर सकती है।

5. समिति अपनी जरूरत के अनुसार अन्य सदस्य सहयोजित कर सकती है। समिति काम की अपनी क्रिया-विधियां स्वयं बनाएगी और उसे अधिकार होगा कि, यदि जरूरी हो तो, वह अपने किसी भी विशिष्ट काम के लिए परामर्शदाता (ओं) की सेवाएं भी ले।

6. समिति जैसा जरूरी समझे उसके अनुसार व्यापार नीति के विशेष पहलुओं पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है और अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 जून, 1992 तक प्रस्तुत करेगी।

7. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम. सी. जयरामन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 16th August, 1991

No. 2(31)/91-EPL.—In the Statement on Trade Policy made in the Lok Sabha on 13 August 1991, it is indicated that the medium term objective of the Government is to progressively eliminate licensing and quantitative restrictions on capital goods and raw materials/components so that all these items can be placed on OGL save for a small carefully defined negative list.

2. Pursuant to this announcement, the Ministry of Commerce has decided to set up a High Leavel Committee on Trade Policy Reform to work out the modalities of achieving this transition keeping in mind the Balance of Payments position and the need to rationalise and reduce tariffs progressively to provide Indian industry with an appropriate environment to develop international competitiveness. The constitution of the Committee shall be as follows :—

1. Shri Montek Singh Ahluwalia, Chairman.
Commerce Secretary

2. Dr. C. Rangarajan,
Deputy Governor, RBI

3. Shri Suresh Mathur,
Secretary, Industry

4. Shri P. K. Lahiri,
Secretary, Revenue

5. Shri Surendra Singh,
Special Secretary, PMO

6. Dr. Deepak Nayyar,
Chief Economic Adviser, Ministry of Finance

7. Shri N. Biswas,
Secretary, Technical Development

8. Dr. Jayanta Roy,
Economic Adviser, Commerce

9. Dr. Rakesh Mohan,
Economic Adviser, Industry

10. Dr. Arvind Virmani,
Adviser, Planning Commission

11. Shri D. R. Mehta, Member Secretary
CCI&E.

3. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) To review the nature and extent of licensing control on capital goods and on raw materials/intermediates/ compenents after the introduction of the recent trade policy and industrial policy changes and quantify

the value of imports subject to such restrictions. The review will include a consideration of canalisation policies;

(ii) to suggest a time frame for eliminating these licences within 3—5 years with a properly defined sequencing taking into consideration the need to promote exports, to ensure effective management of the trade deficit, and also to provide adequate tmie for the domestic industrial sector to adjust to the reduction in import controls. The Committee shall have regard to the Balance of Payments position and the desired levels of foreign exchange reserves at every stage of the recommended time-frame;

(iii) to suggest an appropriate balance between reduction in control by including items under OGL and shifting items to the expanded Eximscrip;

(iv) to identify the list of items which would need to be kept in the licensing category even at the end of 5 years;

(v) to suggest ways of linking tariff reforms aimed at reducing and rationalising tariffs with the progress of import decontrol;

(vi) to examine the existing system and Phased Manufacturing Programmes as it relates to import policy especially in view of recent changes in industrial policy and the trade policy; and

(vii) to examine the whole range of duty concessions as they relate to import procedures with a view to injecting greater transparency in the import policy.

4. The Committee may, if necessary, consider any other aspect related to the above terms of references.

5. The Committee may co-opt members as felt necessary It will formulate its own procedures of work and will have the authority to engage consultant(s), if considered necessary, for any specific area of its work.

6. The Committee may submit interim reports on particular aspects of trade policy as cossidered necessary and submit its final report by 30th June 1992.

7. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. C. JAYARAMAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991